न्यायालय : अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 1

राजगढ़, जिला– अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : नवीन कुमार झरवाल *(R.J.S.)*

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23 / 226 / 2024

सी.आई.एस. नम्बर : 468 / 2024

एफआईआर सं. : 166 / 2024

पुलिस थाना : राजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम विक्रम

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341 आईपीसी

भाग–1

अ

शिकायतकर्ता	जयराम
अधिवक्ता परिवादी	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	01. विक्रम उर्फ बीका पुत्र रामकिशन उम्र 33 साल निवासी ठेकडीन पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री अजय कुमार निदानिया

ब

अपराध की तारीख	25.03.2024
एफआईआर की दिनांक	26.03.2024
चालान पेश करने की दिनांक	**02.07.2024**
आरोप लगाने की दिनांक	02.07.2024
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ व समाप्ति	प्रारंभ दिनांकः– 13.08.2024 समाप्ति दिनांकः– 26.02.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	निल

निर्णय दिनांक	16.03.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो	—

स

रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	आरोप धारा	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	सजा	धारा 428 दं.प्र.सं. के उद्देश्य के लिये अंवीक्षा के दौरान निरोध में गुजारी गयी अवधि
1.	विक्रम उर्फ बीका	जमानतीय अपराध	—	**323** आईपीसी	**दोषसिद्ध**	परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 व 5 का लाभ	—
				341 आईपीसी	**दोषमुक्त**	—	

भाग–2

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
पी. डब्ल्यू 01	जयराम	परिवादी
पी. डब्ल्यू 02	हंसो	प्रत्यक्षदर्शी व मौका साक्षी
पी. डब्ल्यू 03	धारासिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी. डब्ल्यू 04	डॉ. रामचन्द्र यादव	चिकित्सकीय साक्षी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 02	चाक एफआईआर
3	प्रदर्श पी 03	चोट प्रतिवेदन जयराम
4	प्रदर्श पी 04	नक्शा मौका
5	प्रदर्श पी 05	164 सीआरपीसी बयान हंसो देवी

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श डी 01	161 सीआरपीसी बयान जयराम
2	प्रदर्श डी 02	161 सीआरपीसी बयान हंसो

निर्णय **दिनांक: 16.03.2026**

01. अभियोजन पक्ष की कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी जयराम ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ़ में इस आशय की दर्ज करवाई कि रिपोर्ट दिये जाने के दिन दोपहर तकरीबन 12 बजे अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि विक्रम उर्फ बिका रिपोर्टकर्ता के खेत की मेढ में खडे हरे बबूल के पेड को काट रहा था। जब रिपोर्टकर्ता ने मना किया तो विक्रम ने जान से मारने की नीयत से रिपोर्टकर्ता के सिर पर टांच्ये की मारी। लेकिन रिपोर्टकर्ता ने हाथों को सिर के आगे कर दिया। जिससे रिपोर्टकर्ता के हाथ के अंगूठे के पिछले हिस्से और गट्टे पर चोट आई। पास खडी हंसो देवी ने बीच बचाव कराया..... इत्यादि–इत्यादि।

इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजगढ़ में एफ.आई.आर नं 166/2024 अन्तर्गत धारा 323, 341, 354 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ

किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व अपराध धारा **323, 341 भा.द.सं** का आरोप पत्र दिनांक 02.07.2024 को न्यायालय में पेष किया।

02. अभियुक्त को धारा **323, 341 भा.द.सं** के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये, अभियुक्त ने आरोप सुन व समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं अन्वीक्षा चाही।

03. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्ल्यू 01 लगायत 04 को परीक्षित करवाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी 01 लगायत 05 को प्रदर्शित करवाया गया।

बचाव पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श डी–01 लगायत डी–02 को प्रदर्शित करवाया गया।

04. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्व किये गये जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताते हुये साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

05. उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में बहस करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अतः अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे।

06. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नही किया है। गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। अतः अभियुक्त का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नही है, दोषमुक्त किया जावे।

07. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

01– क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.03.2024 को समय दोपहर के करीब 12.00 बजे स्थान ग्राम ठेकडीन में परिवादी के खेत पर परिवादी पक्ष के साथ कुन्दालय हथियार से मारपीट कर स्वेच्छयापूर्वक साधारण उपहति कारित की?

02 – आप अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर परिवादी पक्ष को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध किया?

03 – यदि हां तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

08. पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि उक्त विचारणीय बिन्दूओं को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 04 गवाहान परीक्षित करवाये गये है।

09. यह प्रकरण जयराम के द्वारा पुलिस थाना राजगढ़ में दी गई रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ है।

10. जयराम ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि रिपोर्ट दिये जाने के दिन दोपहर तकरीबन 12 बजे अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि विक्रम उर्फ बिका रिपोर्टकर्ता के खेत की मेढ में खडे हरे बबूल के पेड को काट रहा था। जब रिपोर्टकर्ता ने मना किया तो विक्रम ने जान से मारने की नीयत से रिपोर्टकर्ता के सिर पर टांच्ये की मारी। लेकिन रिपोर्टकर्ता ने हाथों को सिर के आगे कर दिया। जिससे रिपोर्टकर्ता के हाथ के अंगूठे के पिछले हिस्से और गट्टे पर चोट आई। पास खडी हंसो देवी ने बीच बचाव कराया..... इत्यादि–इत्यादि।

11. इस रिपोर्ट को लेकर न्यायालय के समक्ष सबसे अहम गवाह जयराम पी.डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ है। इस गवाह की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया जाए तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर रिपोर्ट के तमाम कथनों का दौहराव करते हुए लाठी व टांच्ये की सिर पर विक्रम द्वारा मारने के कथन किये हैं। साथ ही गवाह ने यह बताया है कि सिर के आगे गवाह ने अपना हाथ किया, जिससे दायें हाथ के गट्टे, अंगूठे व गर्दन पर चोट आई है। बीच बचाव करने गवाह की पत्नी आई तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। पुलिस थाना राजगढ में घटना को लेकर जो तहरीर रिपोर्ट दर्ज कराई जो प्रदर्श पी–1 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है। पुलिस वालों ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–4 है। गवाह के शरीर पर आई चोटों का मैडिकल मुआयना

कराया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 है। इन तमाम फर्दात् पर गवाह के हस्ताक्षर हैं।

इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई। जिरह में गवाह ने बताया कि प्रदर्श पी–1 तहरीर रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी थी। पढकर नहीं सुनाई थी। प्रदर्श पी–4 पर हस्ताक्षर पुलिस वालों ने थाने पर कराये थे। यह सही है कि घटनास्थल पर कंकड–पत्थर पडे हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 में लाठी, टांच्ये से मारने की बात नहीं लिखी हुई है। पुलिस वालों को बता दी थी। क्यों नहीं लिखी? इसका कारण गवाह को पता नहीं है।

इस प्रकार इस मुख्य गवाह आहत जयराम की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में विक्रम के द्वारा गवाह के साथ मारपीट किये जाने की साक्ष्य दी है। मारपीट से गवाह के दायें हाथ के अंगूठे, गट्टे व गर्दन पर चोट आने के बारे में कथन गवाह ने कहे हैं। हालांकि टांच्ये की मारने की बात पुलिस बयान में नहीं लिखवाना इस गवाह की साक्ष्य से प्रकट हुआ है। लेकिन गवाह की साक्ष्य विक्रम के द्वारा मारपीट किये जाने की बात को लेकर अखण्डनीय रही है।

12. इसी अनुक्रम में न्यायालय के समक्ष हंसो पी.डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित हुई है। इस गवाह ने रिपोर्टकर्ता की भांति कथन करते हुए कहा कि गवाह के पति जयराम के विक्रम ने टांच्ये की मारी, जिससे दायें हाथ के अंगूठे व गट्टे पर चोट आई थी। विक्रम ने धक्का देकर गवाह को गिरा दिया था। गवाह के कोर्ट में बयान हुए थे जो प्रदर्श पी–5 है। पुलिस वालों ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी–4 है। जिस पर गवाह के हस्ताक्षर है।

इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई। जिरह में गवाह ने बताया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 में पति के टांच्ये की सिर पर मारने की बात नहीं लिखी हुई है। यह कहना गलत है कि गवाह के पति जयराम के साथ कोई मारपीट नहीं हुई।

इस प्रकार इस गवाह पी.डब्ल्यू–2 हंसो की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह की साक्ष्य गवाह के पति जयराम के साथ मुलजिम द्वारा मारपीट करने को लेकर अखण्डनीय रही है।

13. इसी अनुक्रम में न्यायालय के समक्ष अनुसंधान अधिकारी धारासिंह पी.डब्ल्यू–3 के रूप में परीक्षित हुए हैं। इस गवाह ने अपनी सशपथ साक्ष्य के दौरान बताया है कि दिनांक 26.03.2024 को वह एएसआई के पद पर पुलिस थाना राजगढ में पदस्थापित थे। मुकदमा सं. 166 / 24 अंतर्गत धारा 323, 341, 354 आईपीसी की पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। तहरीर रिपोट प्रदर्श पी–1 की पुश्त पर पुलिस कार्यवाही अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है। फरियादी पक्ष की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 कसीद किया गया। अनुसंधान के क्रम में समस्त गवाहों के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। हंसो देवी के धारा 164 सीआरपीसी के बयान व चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किया गया। समस्त अनुसंधान से विक्रम उर्फ बीका के खिलाफ 323, 341 आईपीसी का अपराध प्रमाणित माना जाता है।

इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई। जिरह में कोई खण्डन पत्रावली पर नहीं आया है।

14. प्रकरण में परीक्षित उक्त रिपोर्टकर्ता पी.डब्ल्यू–1 जयराम व मौके की गवाह पी. डब्ल्यू–2 हंसो की साक्ष्य का अवलोकन किया गया। गवाहों की साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष को यह साबित करना है कि मुलजिम विक्रम ने जयराम के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की।

इस संबंध में मौखिक साक्षी के रूप में परीक्षित पी.डब्ल्यू–1 जयराम व पी. डब्ल्यू–2 हंसो की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो इन दोनों गवाहों ने विक्रम के द्वारा जयराम के साथ मारपीट किये जाने की साक्ष्य दी है। जिसका कोई खण्डन जिरह के दौरान पत्रावली पर प्रकट नहीं हुआ है। अनुसंधान अधिकारी ने भी जयराम का चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किये जाने की साक्ष्य दी है। अनुसंधान अधिकारी ने भी संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम विक्रम के द्वारा मारपीट किया जाना माना है। इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित मौखिक साक्ष्य से मारपीट विक्रम के द्वारा किया जाना स्पष्ट है।

15. अब न्यायालय को देखना है कि मारपीट के परिणामस्वरूप वास्तव में जयराम के चोटें आई थी या नहीं ? इस संबंध में चिकित्सकीय साक्षी के रूप में डॉ. रामचन्द्र यादव पी.डब्ल्यू–4 के रूप में परीक्षित हुए है। चिकित्सकीय साक्षी ने अपनी सशपथ साक्ष्य के दौरान बताया है कि दिनांक 26.03.2024 सीएचसी

राजगढ में एमओ के पद पर पदस्थापित थे। पुलिस थाना राजगढ के प्रतिवेदन पर जयराम के शरीर पर आई चोटों का मैडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–3 मुर्तिब किया था। जयराम के शरीर पर निम्न चोट आई थी :– चोट सं. 01– रगड 3 गुणा 3 सेमी. बाएं अंगूठे पर, चोट सं. 02 – रगड 2 गुणा 2 सेमी दांए हाथ की अग्रभुजा पर, चोट सं. 03 – खरोंच 3 गुणा 0.5 सेमी दांये गाल पर, चोट सं. 04 – सिर के दायीं तरफ पैराटाईल भाग पर सूजन 2 गुणा 2 सेमी.। सभी चोटें साधारण प्रकृति की व कुन्द हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 1–2 दिन की दरमियानी है।

चोट प्रतिवेदन व चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य का अवलोकन किया गया। चोट प्रतिवेदन दिनांक 26.03.2024 का है। जबकि घटना रिपोर्टकर्ता के मुताबिक दिनांक 25.03.2024 की है। इस प्रकार चोट प्रतिवेदन घटना के तुरंत अगले दिन का है, जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि जयराम के चोट आई थी।

अतः स्पष्ट है कि मुलजिम ने जयराम के साथ कुन्द हथियार से मारपीट कर उसे स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की। **लिहाजा धारा 323 भा.दं.सं. का अपराध संदेह से परे प्रमाणित है।**

16. जहां तक धारा 341 भा.द.सं. का संबंध है तो इसको लेकर अभियोजन पक्ष को साबित करना है कि मुलजिम ने जयराम को निश्चित् दिशा मे जाने से निवारित कर सदोष अवरोध किया हो। इसको लेकर प्रकरण का मुख्य आधार तहरीर रिपोट प्रदर्श पी–1 का अवलोकन किया जावे तो इसमें केवल मारपीट किये जाने का ही अंकन है। मुलजिम ने जयराम को पकडकर निश्चित् दिशा में जाने से निवारित किया हो, इसका कोई अंकन तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 मे नहीं है। न्यायालय के समक्ष सशपथ परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू–1 जयराम व पी.डब्ल्यू–2 हंसो ने भी इस संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं दी है। इस प्रकार पत्रावली पर ऐसी कोई स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मुलजिम ने जयराम को निश्चित् दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया हो। इसलिए धारा 341 भा.द.सं. के संबंध में पत्रावली पर संपोषक साक्ष्य मौजूद नहीं होने से

अभियुक्त को **धारा 341 भा.द.सं. के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जाता है।**

:: **आदेश ::**

17. अतः अभियुक्त **01. विक्रम उर्फ बीका पुत्र रामकिशन उम्र 33 साल निवासी ठेकडीन पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341 आईपीसी** के आरोप में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** तथा धारा **323 आईपीसी** के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(नवीन कुमार झरवाल)

सजा के बिन्दु पर सुना गया।

18. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि आरोपित अपराध मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि भी नहीं रही है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है। परिणामतः आरोपित अपराध की प्रकृति, अभियुक्त की अवस्था एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नही दिया जाकर कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

19. सजा के बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि मुलजिम की उम्र ज्यादा नहीं है। मुलजिम की पारिवारिक स्थिति को देखते हुए तथा मुलजिम को लेकर कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी अभियोजन पक्ष ने पेश नहीं किये हैं। इसलिए उक्त समस्त स्थिति को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम का लाभ देना उचित मानता है।

: : दण्डादेश : :

20. अतः अभियुक्त **01. विक्रम उर्फ बीका पुत्र रामकिशन उम्र 33 साल निवासी ठेकडीन पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341 आईपीसी** में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** तथा धारा **323 आईपीसी के आरोप में दोषसिद्ध** घोषित किया जाकर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ इस शर्त पर दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 4** के तहत दस हजार रूपये की एक जमानत व इसी राशि का निजी मुचलका 6 माह की अवधि के लिए न्यायालय के संतोषप्रद इस आशय के पेश कर तस्दीक कराने पर कि वह उक्त अवधि में शांति एवं सद्व्यवहार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा प्राप्त करने को उपस्थित हो जावेगा।

साथ ही अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की **धारा 5** के तहत अभियोजन व्यय के 500/– रूपये शब्देन पांच सौ रुपये भी जमा करवायेगा।

अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वे धारा 437ए द0प्र0सं0 के तहत दस–दस हजार रूपये की एक जमानत व इतनी ही राशि का निजी मुचलका छः माह की अवधि के लिये न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करावें। अभियुक्त पूर्व में दोषसिद्धि नही होने के संबंध में शपथ पत्र पेश करे। अभियुक्त के नियमित पेशी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(नवीन कुमार झरवाल)

21. निर्णय आज दिनांक **16.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(नवीन कुमार झरवाल)